मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय

: : आदेश : :

भोपाल दिनांक: 14/06/2025

क्रमांक एफ **5-6/2017/42(1)** : राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के विभागीय संशोधित एकजाई आदेश दिनांक **05.06.2018** एवं संशोधित आदेश दिनांक **01.07.2019** की कण्डिका **3.2** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे**:-**

(क) एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति दी जायेगी।

(ख) उक्त बिन्दु क्रमांक **(क)** के अतिरिक्त शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिये आवश्यक शेष धनराशि योजनांतर्गत विद्यार्थियों को ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा देय होगी। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् आगामी **05** वर्षों के लिये राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने पर सेवा काल के अनुपात में ऋण की अतिशेष राशि को कम माना जा सकेगा। उदाहरणतः **2.5** वर्ष कार्य करने पर **50%** ऋण भुगतान किया हुआ माना जाएगा। **05** वर्ष की उपरोक्त सेवा पश्चात् अतिदेय राशि को शून्य मान्य किया जा सकेगा। **05** वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र की कार्य करने की सेवा संबंधी शर्त पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में अनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि शासन को वापस किया जाना आवश्यक होगा।

(ग) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लाभ के लिये **NEET** परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक डेढ़ लाख **(1.5** लाख**)** के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही

पात्र होगें।

(घ) मध्यप्रदेश के मूल-निवासी विद्यार्थियों को **NEET** परीक्षा के माध्यम से मध्यप्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों (जिनके शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति या मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है) तथा केंद्र सरकार के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर यह लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

(ड़) यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र **2025-26** से प्रवेशित विद्यार्थियों पर प्रभावशील होगी।

(2) विभागीय संशोधित एकजाई आदेश दिनांक **05.06.2018** की कण्डिका-**6** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे:-

"योजना के प्रावधान एवं क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होगें।"

(3) योजना के हितग्राही मध्यप्रदेश में ही **5** वर्ष के लिए कार्य करें, यह सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(4) योजना के क्रियान्वयन में सही एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु योजना का पोर्टल अन्य समान योजनाओं के पोर्टल से समन्वित किए जाएंगे।

(5) स्वप्रमाणीकरण से आय के प्रमाणन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के साथ समन्वय कर विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

एकजाई परिपत्र पृथक से जारी किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Dr.Santosh Kumar Gandhi
Date: 14-06-2025
12:08:23

(डॉ.एस.के. गॉधी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ **5-6/2017/42(1)** भोपाल दिनांक: **14/06/2025**
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (केवल तकनीकी शिक्षा)।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
7. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
11. निज सचिव, सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
12. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।

14. समस्त जिला कोषालय, अधिकारी मध्यप्रदेश।
15. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्ता/-
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास
एवं रोजगार विभाग